



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052023-245989
CG-DL-E-22052023-245989

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]
No. 307]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2023/ज्येष्ठ 1, 1945
NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2023/JYAISHTHA 1, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 मई, 2023
आय-कर

सा.का.नि. 379(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 115 खखज, धारा 194खक, धारा 200 की उपधारा (3) की और धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक से साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 31क के उपनियम(4)में 1 जुलाई, 2023 से,—
(क) खंड (ix), के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :-

“(ix) संदत्त या जमा की गई रकम के ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिस पर धारा 164द के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194द के चौथे परंतुक में उपबंधित छूट को ध्यान में रखते हुए या धारा 194द के पांचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई थी या न्यूनतम दर पर की गई थी;”;

(ख) खंड (xvii) में उपखंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“कक” धारा 194खक की उपधारा (2) के निबंधनों में जीत;”।

3. मूल नियमों में, नियम 132 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“133 (1) धारा 115 खखज के प्रयोजनों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान ऑनलाइन खेल से सकल जीत, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए संगणित की जाएगी, अर्थात्:-

सकल जीत = (ए+डी)-(बी+सी), जहां –

ए= वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से आहरित सकल रकम;

बी = वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उपयोक्त खाते में किए गए गैर कराधेय निक्षेप की सकल रकम;

सी = वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर उपयोक्ता खाते का प्रारंभिक अतिशेष ;

डी= वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर उपयोक्ता खाते का अंतिम अतिशेष;

(2). धारा 194खक के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम आहरण में समाविष्ट सकल जीत, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए संगणित की जाएगी, अर्थात् :-

सकल जीत= ए-(बी+सी) जब –

ए = उपयोक्ता खाते से आहरित रकम

बी= वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे खाते के स्वामी द्वारा उपयोक्ता खाते में ऐसे आहरण के समय तक किए गए गैर कराधेय निक्षेप की सकल रकम ;और

सी= वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर उपयोक्ता खाते का प्रारंभिक अतिशेष ।

(3). उपनियम (2) में दिया गया सूत्र में सकल देय शून्य होगी, यदि बी और सी रकमों का योग रकम ए के समान है या उससे अधिक है।

(4). धारा 194खक के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक पश्चातवर्ती आहरण में समाविष्ट सकल जीत, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए संगणित कि जाएगी, अर्थात्:-

सकल जीत= ए-(बी+सी+ई), जहां –

ए= पश्चातवर्ती आहरण के समय तक वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से आहरित सकल रकम जिसके अंतर्गत ऐसे पश्चातवर्ती आहरण की रकम भी शामिल सम्मिलित है;

बी=वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे खाते के स्वामी द्वारा उपयोक्ता खाते में ऐसे पश्चातवर्ती उपयोक्ता खाते में स्वामी द्वारा बनाए गए ऐसे खाते में वित्त वर्ष के दौरान ऐसी अनुवर्ती निकासी के समय तक गैर कर योग्य जमा कुल रकम, ऐसी अनुवर्ती निकासी से समय तक किए गए गैर कराधेय निक्षेप की सकल रकम;

सी= वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर उपयोक्ता खाते का प्रारंभिक अतिशेष;और

ई= पश्चातवर्ती आहरण के समय तक वित्तीय वर्ष के दौरान उपनियम(2) के अधीन या इस उपनियम के अधीन संगणित पूर्ववर्ती आहरण या आहरणों में समाविष्ट सकल जीत, यदि ऐसे आहरण या आहरणों में समाविष्ट जीत पर धारा 194खक के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई है।

(5). उपनियम (4) में दिए गए सूत्र में सकल जीत शून्य होगी, यदि बी, सी और ई की रकमों का योग रकम ए के समान है या उससे अधिक है।

(6). धारा 194खक के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपयोक्ता खाते में समाविष्ट सकल जीत, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए संगणित की जाएगी, अर्थात्:-

सकल जीत= (ए+डी)-(बी+सी+ई) जब -

ए= वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से आहरित सकल रकम ;

बी= वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे खाते के स्वामी द्वारा उपयोक्ता खाते में किए गए गैर कराधेय निक्षेप की सकल रकम; और

सी= वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर उपयोक्ता खाते का प्रारंभिक अतिशेष ;

डी= वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर उपयोक्ता खाते का अंतिम अतिशेष; और

ई= वित्तीय वर्ष के दौरान उपनियम(2) या उपनियम (4) के अधीन संगणित पूर्ववर्ती आहरण या आहरणों में समाविष्ट जीत पर धारा 194खक के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई है।

(7). उपनियम (6) में दिए गए सूत्र में सकल जीत शून्य होगी, यदि बी,सी और ई रकमों का योग रकम ए और डी के समान है या उससे अधिक है।

स्पष्टीकरण 1. इस नियम के प्रयोजनों के लिए -

(क) "गैर-कराधेय निक्षेप" से उपयोक्ता द्वारा उसके उपयोक्ता खाते में जमा की गई रकम अभिप्रेत है और जो कराधेय नहीं है;

(ख) "कराधेय निक्षेप" से उपयोक्ता खाते में जमा की गई कोई रकम अभिप्रेत है, जो गैर कराधेय निक्षेप नहीं है और उसमें उपयोक्ता को सीधे संदत्त की गई कोई रकम, जो उपयोक्ता खाते के माध्यम से नहीं संदत्त की गई है, सम्मिलित है;और

(ग) "आहरण" से किसी उपयोक्ता खाते से उपयोक्ता द्वारा आहरित कोई रकम अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2 :- कठिनाईयों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(क) उपयोक्ता खाते में, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात उपयोक्ता का प्रत्येक खाता सम्मिलित हो, जो ऑनलाइन खेल मध्यवर्ती के साथ रजिस्ट्रीकृत है और जहां कोई कराधेय निक्षेप, अकराधेय निक्षेप या उपयोक्ता द्वारा कोई जीत जमा की जाती है और उपयोक्ता द्वारा आहरित की जाती है;

(ख) जब कभी उपयोक्ता को वस्तु या नकद रूप में या भागतः वस्तु या भागतः नकद में संदाय किया जाता है, जो उपयोक्ता खाते के रूप में नहीं है, इस नियम के उपबंध यह मानते हुए सकल जीत की संगणना में लागू होंगे कि ऐसे संदाय के समतुल्य रकम उसी समय उपयोक्ता खाते से आहरित कि गई है और तदनुसार रकम ए सम्मिलित की जाएगी;

(ग) जब कभी समान उपयोक्ता के बहु उपयोक्ता खाते हैं, प्रत्येक उपयोक्ता खाता सकल जीत की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए विचार में लाया जाएगा और उपयोक्ता खाते में निक्षेप, आहरण या अतिशेष से सभी, उपयोक्ता खाते में निक्षेप, आहरण या अतिशेष का सकल अभिप्रेत है ;

(घ) जब कभी समान उपयोक्ता के समान ऑनलाइन खेल मध्यवर्ती के साथ समान उपयोक्ता के बहु खाते अनुरक्षित हैं, एक उपयोक्ता खाते से अन्य उपयोक्ता खाते में अंतरण, धारा 194खक के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए यथा स्थिति आहरण या निक्षेप के रूप में नहीं समझा जाएगा ;

(ङ) जब कभी कराधेय निक्षेप बोनस, निर्देशित बोनस, प्रोत्साहन, प्रोन्नत धन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात छूट के रूप में है; और ऐसे निक्षेप का केवल ऑनलाइन खेल को खेलने के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है और आहरण और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है, ऐसे निक्षेप को सकल जीत संगणना करने के लिए छोड़ दिया जाएगा और उसे रकम बी या रकम सी या रकम डी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

(च) जब भी कोई बोनस, निर्देशित बोनस, प्रोत्साहन, प्रोन्नत धन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात छूट खंड (ड.) के अधीन रकम बी या रकम सी या रकम डी के भाग के रूप में नहीं समझी जाती हैं और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्विशेषित किया जाता है और आहरण के लिए अनुज्ञात किया जाता है, तो वे ऐसे पुनर्विशेषण के समय कराधेय निक्षेप के रूप में समझे जाएंगे और यह समझा जाएगा कि उस समय उपयोक्ता खाते में समतुल्य रकम जमा की गई।

4. मुख्य नियम, परिशिष्ट II में-

- (क) प्ररूप 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप 1 जुलाई, 2023 से रखा जाएगा और निर्धारण वर्ष 2024-25 और पञ्चतावर्ती निर्धारण वर्षों से लागू होगा, अर्थात्-

“प्ररूप सं. 16

[नियम 31(1)(क) देखें]

भाग क

धारा 192 के अधीन कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन के स्रोत पर कर कटौती अथवा धारा 194त के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक पेंशन या ब्याज आय के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण

प्रमाण पत्र सं.		अंतिम बार अद्यतन की गई	
नियोजक/विनिर्दिष्ट बैंक का नाम व पता		कर्मचारी/विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का नाम व पता	
कटौतीकर्ता का पैन	कटौतीकर्ता का टैन	कर्मचारी/ विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का पैन	कर्मचारी संदर्भ सं./पेंशन भुगतान आदेश सं. नियोजक द्वारा प्रदत्त की गई हो (यदि उपलब्ध हो)
सी आई टी (टीडीएस) पता..... शहर पिन कोड		निर्धारण वर्ष	नियोजक के साथ अवधि
			से तक

कर्मचारी के संबंध में उनके स्रोत पर भुगतान/जमा और कर कटौती रकम का सारांश

तिमाहीयों	धारा 200 की उप धारा (3) के अधीन टीडीएस के मूल तिमाही विवरण की प्राप्ति संख्या	संदत्त/ जमा की गई रकम	कर कटौती की रकम (रु.)	जमा किए गए /छूट दी गई कर की रकम (रु.)
कुल (रु.)				

1. कटौती किए गए और बही समायोजन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं.	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर (रु.)	बही पहचान संख्याक (बीआईएन)			
		प्ररूप संख्या 24छ की प्राप्ति संख्या	प्ररूप संख्या 24छ में डीडीओ क्रम संख्या	अंतरण वाउचर की तारीख (दिदि/मम/वववव)	प्ररूप संख्या 24छ के साथ मिलान की प्राप्ति

कुल(रु.)					

2. कटौती किए गए और चालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं.	कटौती किए जाने व्यक्ति के बाबत जमा किया गया कर (रु.)	चालान पहचान सं. (सी आई एन)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिदि/मम/वववव)	चालान क्रम सं.	ओएलटीएस के साथ मिलान की प्रास्थिति
कुल(रु.)					

सत्यापन

मैं, पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं किरुपए [केवल.....(शब्दों में)] की रकम की कटौती की गई है और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।

स्थान.....	(कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)
तारीख :	
पदनाम:	पूरा नाम :

[भाग ख (उपाबंध-1)]

धारा 192 के अधीन कर कटौती के लिए कर्मचारियों के संबंध में

संदत्त वेतन और अन्य आय तथा कर कटौती के ब्यौरे

क्र	क्या धारा 115खकग(1क) के अधीन कराधान का विकल्प चुना गया है?	[हां/नहीं]
1.	सकल वेतन	
(क)	धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	रु. ...
(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खक के अनुसार जहां भी लागू हो)	रु. ...
(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप सं. 12खक, जहां भी लागू हो)	रु. ...

(घ)	कुल			₹ ...
(ङ.)	रिपोर्ट की गई अन्य नियोजक(नियोजकों) से प्राप्त वेतन की कुल रकम		₹ ...	
2.	घटाएं: धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते;			
(क)	धारा 10(5) के अधीन यात्रा खर्चा अथवा सहायता		₹ ...	
(ख)	धारा 10(10) के अधीन मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति ग्रेज्युटी		₹ ...	
(ग)	धारा 10(10क) के अधीन पेंशन का रूपांतरित मूल्य		₹ ...	
(घ)	धारा 10(10कक) के अधीन अवकाश वेतन नकदीकरण के समतुल्य नकद		₹ ...	
(ङ)	धारा 10(13क) के अधीन गृह किराया भत्ता		₹ ...	
(च)	धारा 10(14) के अधीन अन्य विशेष भत्ते		₹ ...	
(छ)	धारा 10 के अधीन कोई अन्य छूट की रकम			
	खंड ...	₹ ...		
	खंड ...	₹ ...		
	खंड ...	₹ ...		
	खंड ...	₹ ...		
	खंड ...	₹ ...		
	...	₹ ...		
(ज)	धारा 10 के अधीन कोई अन्य छूट की कुल रकम		₹ ...	
(झ)	धारा 10 के अधीन दावा की गई छूट की रकम [2(क)+2(ख)+2(ग)+2(घ)+2(ङ)+2(च)+2(ज)]			₹ ...
3.	वर्तमान नियोजक से प्राप्त वेतन की कुल रकम [1(घ)-2(झ)]			₹ ...
4.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौतियां			
(क)	धारा 16(झक) के अधीन मानक कटौती		₹ ...	
(ख)	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता		₹ ...	
(ग)	धारा 16(iii) के अधीन रोजगार पर कर		₹ ...	
5.	धारा 16 के अधीन कटौतियों की कुल रकम [4(क)+4(ख)+4(ग)]			₹ ...
6.	"वेतन शीर्ष" के अधीन प्रभार्य आय [(3+1(ङ.)-5)]			₹ ...
7.	जोड़ें: धारा 192(2ख) के अधीन कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय			
(क)	टीडीएस के लिए प्रस्तावित कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई गृह संपत्ति से आय (या अनजय हानि)		₹ ...	

(ख)	टीडीएस के लिए प्रस्तावित अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय		₹ ...	
8.	कर्मचारी द्वारा सूचित अन्य आय की कुल रकम [7(क)+7(ख)]			₹ ...
9.	सकल कुल आय (6+8)			₹ ...
10.	अध्याय VI-क के अधीन कटौती			
			सकल रकम	कटौती योग्य रकम

(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा, प्रीमियम के संबंध में कटौती, भविष्य निधि आदि में योगदान		रु. ...	रु. ...
(ख)	धारा 80गग के अधीन कतिपय पेंशन निधि अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ग)	धारा 80गघ (1) के अधीन पेंशन योजना के लिए करदाता द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(घ)	धारा 80ग, 80गग और 80गगघ(1) के अधीन कुल कटौती		रु. ...	रु. ...
(ङ)	धारा 80गगघ(1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना संदत्त/जमा की गई रकम के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(च)	धारा 80गगघ (2) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में नियोजक द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(छ)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ज)	धारा 80ड. के अधीन उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(झ)	धारा 80गगज के अधीन अग्रिपथ स्कीम में कर्मचारी द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ञ)	धारा 80गगज के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अग्रिपथ स्कीम में अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
		सकल रकम	अहर्त रकम	योग्यता रकम
(ट)	धारा 80छ अधीन कतिपय निधि, पूर्त संस्थाओं में संदान के संबंध में कुल कटौतियां	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ठ)		रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ड)	धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध (ओं) के अधीन कटौती योग्य रकम			
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...

	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ढ)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध(ओं)के अधीन कटौती योग्य कुल रकम	रु. ...	रु. ...	रु. ...
11.	अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य रकम का समग्र [10(घ)+10(ड.)+10(च)+10(छ)+10(ज)+ 10(झ)+10(ञ) +10(ट) +10(ठ) +10(ढ)]			रु. ...
12.	कुल कराधेय आय (9-11)			रु. ...
13.	कुल आय पर कर			रु. ...
14.	धारा 87 के अधीन छूट(यदि लागू हो)			रु. ...
15.	अधिभार, यदि लागू हो			रु. ...
16.	स्वास्थ्य और शिक्षा कर @ 4%			रु. ...
17.	देय कर (13+15+16-14)			रु. ...
18.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (ब्यौरे संलग्न करें)			रु. ...
19.	शुद्ध देय कर (17-18)			रु. ...

सत्यापन

मैं,पुत्र/पुत्री.....जो (पदनाम)की हैसियत से कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा बहियों दस्तावेजों, स्रोत पर कर की कटौती के विवरणों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान.....

(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

तारीख.....

पूरा नाम.....

धारा 194त के अधीन निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में कर कटौती

क्र	क्या धारा 115खकग(1क) के अलावा कराधान का विकल्प चुन रहे हैं?	[हां/नहीं]		
1.	सकल वेतन			
(क)	धारा 17(1) के खंड (ii) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पेंशन	रु. ...		
2.	प्राप्त वेतन की कुल रकम			रु. ...
3.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौतियां			
(क)	धारा 16(क) के अधीन मानक कटौती	रु. ...		
(ख)	धारा 16(iii) के अधीन नियोजन पर कर	रु. ...		
4.	धारा 16 [3(क)+3(ख)]के अधीन कटौतियों की कुल रकम			रु. ...
5.	वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(2-4)]			रु. ...
6.	निर्दिष्ट बैंक द्वारा भुगतान किए गए "अन्य स्रोतों" शीर्ष के अधीन ब्याज आय	रु. ...		
7.	सकल समग्र आय (5+6)			रु. ...
8.	अध्याय VI-क के अधीन कटौतियां			
		सकल रकम	कटौती योग्य रकम	
(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा, प्रीमियम के संबंध में कटौती, भविष्य निधि आदि में योगदान	रु. ...		रु. ...
(ख)	धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेंशन निधि अंशदान के संबंध में कटौती	रु. ...		रु. ...
(ग)	धारा 80गगघ(1) के अधीन आयकर दाता द्वारा पेंशन योजना के अंशदान के संबंध में कटौती	रु. ...		रु. ...
(घ)	धारा 80ग, 80गगग और धारा 80गगघ(1) के अधीन कुल कटौती	रु. ...		रु. ...
(ङ)	धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में जमा/भुगतान की गई रकम के संबंध में कटौती	रु. ...		रु. ...
(च)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती	रु. ...		रु. ...
(छ)	धारा 80ड. के अधीन उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती	रु. ...		रु. ...
		सकल रकम	योग्यता रकम	कटौती योग्य रकम
(ज)	धारा 80छ अधीन कतिपय निधि, धर्मार्थ संस्थाओं में संदान के संबंध में कुल कटौतियां	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(झ)	धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ञ)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंधों के अधीन कटौती योग्य रकम			
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ट)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध(ओं)के अधीन कटौती योग्य कुल रकम	रु. ...	रु. ...	रु. ...
9.	अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य रकम का समग्र [10(घ)+10(ङ)+10(च)+10(छ)+10(ज)+ 10(झ)+10(ट)]			रु. ...
10.	कुल कराधेय आय(7-9)			रु. ...
11.	कुल आय पर कर			रु. ...
12.	धारा 87क के अधीन छूट(यदि लागू हो)			रु. ...
13.	अधिभार, यदि लागू हो			रु. ...
14.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर			रु. ...
15.	देय कर (11+13+14-12)			रु. ...
16.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (व्यौरे संलग्न करें)			रु. ...
17.	शुद्ध देय कर (16-17)			रु. ...

सत्यापन	
मैं,पुत्र/पुत्री.....जो (पदनाम)की हैसियत से कार्य कर रहा/रही हूँ, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा बहियों, दस्तावेजों, स्रोत पर कर की कटौती के विवरणों, टीडीएस जमा और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है..	
स्थान	(कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)
तारीख	पूरा नाम:

टिप्पण :

- सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 1 में जानकारी भरें यदि कर को आय कर चालान के पेश किए बिना संदत्त किया जाता है और यदि कर को आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- गैर सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- कटौतीकर्ता, आय कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरणों के विषय में है।
- यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती केवल एक नियोजन के अधीन नियोजित है तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए जारी प्रमाणपत्र, प्ररूप सं. 16 में वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए जमा और कर कटौती का विवरण होगा।
- (i) यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती एक नियोजक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोजक, उस अवधि से संबंधित प्ररूप सं. 16 में प्रमाणपत्र का भाग क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के अधीन नियोजित था।
(ii) निर्धारिती के विकल्प पर प्ररूप सं. 16 प्रमाणपत्र का भाग ख (उपाबंध-I) प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा जारी किया जा सकेगा।
(iii) प्ररूप सं. 16 में प्रमाण पत्र का भाग ख (उपाबंध-II) निर्दिष्ट बैंक द्वारा निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को जारी किया जाएगा
- भाग क के मद 1 और मद 2 में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किए गए कर के लिए स्तंभ में कर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल रकम उल्लिखित करें।
- कटौतीकर्ता भाग ख (उपाबंध-I) को कर्मचारी को देने से पहले मद संख्या 2(च) ओर 10(ट) में ब्यौरे, जहां कहीं उपलब्ध हो, सम्यक रूप से भरेगा।";

धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में जमा/भुगतान की गई रकम के संबंध में कटौती	धारा 80गगघ (2) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में कटौती	धारा 80गगज के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अग्रिपथ योजना में अंशदान के संबंध में कटौती	धारा 80गगज के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अग्रिपथ योजना में अंशदान के संबंध में कटौती	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती.	धारा 80ड. के अधीन उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती	धारा 80छ अधीन कतिपय निधि, धर्मार्थ संस्थाओं में सदान के संबंध में कुल कटौतियां	धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध(ओं)के अधीन कटौती योग्य रकम	अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य रकम का कुल [357+359+361(रु.1,50,000 तक) +363 +364ख +365ख +366ख+ 367ख +369 +372 +375 +378].												
सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम			
(362)	(363)	(364क)	(364ख)	(365क)	(365ख)	(366क)	(366ख)	(367क)	(367ख)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)

कुल कराधेय आय (355-379).	कुल आय पर आयकर	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो	अधिभार जहां कहीं लागू हो	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	धारा 89 के अधीन आयकर अनुतोष, जहां वेतन आदि बकाया या अग्रिम के रूप में संदत्त किया जाता है	कुल कर दायित्व [381+383+384- (382+385)].	सम्पूर्ण वर्ष के लिए वर्तमान नियोजक द्वारा स्रोत पर कर कटौती की कुल रकम [प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सभी तिमाहियों के लिए उपाबंध 1 के स्तंभ 325 में रकम का योग]	अन्य नियोजक (कों) या कटौतीकर्ता (ओं) द्वारा स्रोत पर कर कटौती की रिपोर्ट की गई रकम (स्तंभ 339 में कुल कराधेय आय की संगणना में, जिसके संबंध में आय)	सम्पूर्ण वर्ष के लिए स्रोत पर कर कटौती की कुल रकम (387+388).	कर कटौती में कमी (+) या आधिक्य कर कटौती (-) (386-389).
(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)

टिप्पण:

1. वेतन के अन्तर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, उपदान (धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न), फीस, कमीशन, बोनस, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) के अधीन जमा रकम का पुनः संदाय, परिलब्धियां, किसी वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त लाभ जिसके अन्तर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में किए गए संदाय भी हैं, वेतन का अग्रिम, उपयोग नहीं की गई किसी अवधि की छूटी के संबंध में प्राप्त कोई संदाय (धारा 10 (10कक) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अनुसार कर से प्रभार्य मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में खाते के बकाया में कोई वार्षिक अभिवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (4) के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय समझी गई कोई राशियां, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या 'वेतन' शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य कोई अन्य राशियां शामिल है।

2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त उपलब्धियों से कटौती करता है या किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को उस कर्मचारी के कोई अभिदाय उसके निमित्त संदत्त करता है, ऐसी सभी कटौतियां या संदाय विवरण में सम्मिलित होंगे।
3. भू-स्वामी का स्थायी लेखा संख्याक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संदत्त कुल किराया एक लाख रुपए से अधिक है।
4. उधार देने वाले का स्थायी लेखा संख्याक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां गृह ऋण, जिसपर ब्याज संदत्त किया जाता है, वित्तीय संस्था या नियोजक से भिन्न किसी व्यक्ति से लिया जाता है।

(iv) उपाबंध III, पहली सारणी के पांचवें स्तंभ में "क्या धारा 115खकग के अधीन कराधान का विकल्प चुना है" [हां/नहीं]", शब्दों के स्थान पर "क्या धारा 115खकग (1क) के अधीन कराधान के अलावा विकल्प चुना है [हां/नहीं]" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) 1 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त, प्ररूप 26थ में,—

(i) "[192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194घक, 194ड. ड., 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ट, 194ठक, 194ठखक, 194ठखख, 1194ठखग, 194ह, 194ण, 194त, 194थ, 194द, 194ध, 197क, 206कक, 206कख और नियम 31क देखिये]"; कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "[धारा 192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खक, 194खख, 194ग, 194घ, 194घक, 194डड, 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ट, 194ठक, 194ठखक, 194ठखख, 1194ठखग, 194ह, 194ण, 194त, 194थ, 194द, 194ध, 197क, 206कक, 206कख तथा नियम 31क देखें " के स्थान पर कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे:—

(ii) उपाबंध के लिए निम्नलिखित उपाबंध को प्रतिस्थापित किया जाएगा

" उपाबंध:- कटौती/टीडीएस का पाने वाले के अनुसार विघटन "

(कृपया मुख्य फॉर्म 26थ के क्रम सं. 0 सारणी की प्रत्येक लाइन-मद के लिए पृथक उपाबंध का प्रयोग करें)

तारीख..... (दिदि/मम/वववव) को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान संदत्त रकम /जमा की गई रकम और स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप सं. 24 छ की प्राप्ति संख्या	
चालान जमा करने की तारीख/अंतरण वाउचर तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
चालान क्रम सं. /प्ररूप 24छ डीडीओ क्रम सं.	
चालान के अनुसार रकम	
उध्वार्धर रूप में स्तंभ 421 में आवंटतीय कुल कर	
कटौतीकारों/पाने वालों के बीच आवंटतीय कुल ब्याज	

संदायकर्ता का नाम	
टैन	

यदि धारा कोड 94ख-त का चयन किया है, तो प्रदान करें				यदि धारा कोड 94द-त का चयन किया है, तो प्रदान करें				यदि धारा कोड 94घ-त का चयन किया है, तो प्रदान करें				यदि धारा कोड 94खक-त का चयन किया है, तो प्रदान करें			
जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या
[426क]	[426ख]	[426ग]	[426घ]	[427क]	[427ख]	[427ग]	[427घ]	[428क]	[428ख]	[428ग]	[428घ]	[429क]	[429ख]	[429ग]	[429घ]

सत्यापन

मैं....., सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टिंशं सही और पूर्ण हैं।

स्थान..... स्रोत कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का हस्ताक्षर

तारीख..... स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण :-

1. "क" लिखें, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के मद्दे "न्यूनतम कटौती की गई है" या "कटौती नहीं की गई है"।
2. "ख" लिखें, यदि धारा 197क की उपधारा (1च) में उल्लिखित मामलों से भिन्न धारा 197 क के अधीन घोषणा के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
3. "ग" लिखें यदि पै नं. प्रस्तुत करने के मद्दे धारा 206कक के अधीन उच्चतर दर पर कटौती की गई है।
4. "घ" लिखें, यदि धारा 194क की उपधारा (5) के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
5. "ङ." लिखें, यदि 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 3, तारीख 28 जून, 2002 या 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 11 तारीख 22 नवंबर, 2002 या 2017 के बोर्ड परिपत्र सं. 18 तारीख 29 मई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
6. "म" लिखें, यदि यदि आय-कर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड सीमा से नीचे संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
7. "न" लिखें, यदि परिवाहक होने पर कटौतीकर्ता/पाने वाले के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है। कटौतीकर्ता/पाने वाले का पै न आवश्यक है (धारा 194 ग(6))
8. "य" लिखें, यदि धारा 197क(1च) के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
9. "ड" लिखें, यदि धारा 194ड के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।*
10. "ढ" लिखें, यदि धारा 194ड. के चौथे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे या धारा 194ड के पांचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई है या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई है।*

11. "ण" लिखें, यदि धारा 194खक की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार कटौती नहीं की गई है।
12. धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड(ड) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड (घ) में निर्दिष्ट कारबार न्यास को दिए गए लाभांश के संदाय के कारण यदि कोई कटौती नहीं हुई है तो 'त' लिखें।
13. धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (x) में निर्दिष्ट किसी ईकाई को किए गए संदाय को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कटौती नहीं हुई है तो 'थ' लिखें।
14. धारा 194कख की उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कटौती नहीं है तो 'ध' लिखें।
15. धारा 206कख को ध्यान में रखते हुए आय की विवरणी दाखिल न करने के कारण यदि कटौती उच्च दर पर होती है तो 'न' लिखें
16. यदि धारा कोड की सूची निम्न प्रकार है:-

धारा	भुगतान की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचित अतिशेष का संदाय	192क
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज	194क
194ख	लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली आदि से जीत	194ख
धारा 194ख के परंतुक	लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली आदि से जीत जहां कर दायित्व को चुकाने के लिए वस्तु या नकद के रूप में दिया गया प्रतिफल पर्याप्त नहीं है तथा ऐसी जीत से पूर्व संदत्त कर निमोचित हो चुका है	94ख-त
194खक	ऑनलाइन खेलों से जीत	94खक
धारा 194खक की उपधारा (2)	ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीती रकम जब शुद्ध जीती रकम वस्तु या नकद के रूप में कर दायित्व चुकाने हेतु पर्याप्त न हो और ऐसी शुद्ध जीती रकम जारी होने से पूर्व संदत्त कर निमोचित हो चुका है	94खक-त
194खख	घुड़दौड़ से जीत	194खख
194ग	ठेकेदारों व उप ठेकेदारों का संदाय	194ग
194घ	बीमा आयोग	194घ
194घक	जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में संदाय	194घक
194ड.ड.	राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन जमा रकम के संबंध में संदाय	194ड.ड.
194च	म्यूचल फंड या यूटीआई द्वारा ईकाइयों के पुनःविक्रय के कारण संदाय	194च
194छ	लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन, इनाम आदि	194छ
194ज	दलाली या ब्रोकरेज पर कमीशन	194ज
194झ(क)	किराया	194झ(क)
194झ(ख)	किराया	194झ(ख)
194ज(क)	सिनेमेटोग्राफी फिल्मों और कॉल सेंटर के प्रदर्शन या वितरण तथा विक्रय के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क(वृत्तिक सेवा नहीं) के लिए राँयल्टी @2%	194ज(क)

194ज(ख)	वृत्तिक सेवा या रॉयल्टी आदि के लिए शुल्क @10%	194ज(ख)
194ट	इकाईयों के संबंध में आय	194ट
194ठक	कतिपय स्थावर संपत्तियों के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय	194ठक
194ठखक(क)	कारबार न्यास को इकाई से निवासी इकाई धारक को व्याज रूप में कतिपय आय	194ठखक(क)
194ठखक(ख)	कारबार न्यास की इकाईयों से निवासी इकाई धारक को लाभांश रूप में कतिपय आय	194ठखक(ख)
194ठख	निवेश निधि की इकाई के संबंध में आय	194ठख
1194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	1194ठखग
194ड	नकद में कतिपय रकम का संदाय प्रथम परंतुक या तीसरे परंतुक द्वारा आच्छादित मामलों से भिन्न	194ड
194ड प्रथम परंतुक	गैर फाइलों के नकद में कतिपय रकम का संदाय सहकारी समितियों के मामलों के भिन्न	94ड-च
194ड तीसरा परंतुक	प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छादित सहकारी समितियों को नकद में कतिपय राशि का संदाय	94ड-ग
194ड प्रथम परंतुक तीसरे परंतुक के साथ पठित	सहकारी समितियां होने के नाते गैर-फाइलर्स को कतिपय रकम का संदाय	94ड-चन
194ण	ई कामर्स प्रतिभागी को ई कामर्स ऑपरेटर द्वारा कतिपय रकम का संदाय	194ण
194थ	माल की खरीद के लिए कतिपय रकम का संदाय	194थ
194द	कारबार या वृत्ति से फायदा व अभिलाभ	194द
धारा 194द की उपधारा (1) का प्रथम परंतुक	कारबार या वृत्ति से फायदा व अभिलाभ जब ऐसे फायदा व अभिलाभ वस्तु या कुछ भाग नकद में प्रदान किए जाते हैं और कर दायित्व के लिए पर्याप्त नहीं है तथा अपेक्षित कर कटौती का संदाय ऐसे फायदे के निर्मोचन से पूर्व हो चुका है	94द-च
194ध	विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा आभासी डिजिटल आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल का संदाय	194ध
धारा 194ध की उपधारा(1) का प्रथम परंतुक	आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण हेतु संदाय जहां संदाय वस्तु के रूप में या अन्य आभासी डिजिटल आस्ति के विनिमय में हो तथा अपेक्षित कर कटौती का ऐसा संदाय निर्मोचन होने से पूर्व हो चुका है	94ध-त";

(घ) प्ररूप सं. 27थ में 1 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त, -

(i) "[धारा 194ड., 194ठख, 194ठखक, 194ठखख, 1194ठखग, 194ठग, 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 194क, 206कक, 206कख तथा नियम 31क देखें", कोष्टकों, शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्टकों, शब्दों, अंकों तथा अक्षरों को रखा जाएगा अर्थात्:-

"धारा 194ख, 194खक, 194खख, 194ड., 194ठख, 194ठखक, 194ठखख, 1194ठखग, 194ठग, 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 194क, 206कक, 206कख तथा नियम 31क देखें"

(ii) सारणी के क्रम सं. 4, के स्तंभ सं. 4 में "शिक्षा कर" शब्दों के स्थान पर "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:-

कटौती की तारीख	जिस दर पर कटौती की गई	कटौती कम न करने/प्रेसिंग अप/ उच्च कटौती (टिप्पण 1 सं. 1 देखें)	निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने/ कम कटौती के लिए जारी प्रमाण पत्र की संख्या	क्या टीडीएस की दर आयकर अधिनियम(क) डीटीएए(ख) के अनुसार है	धन प्रेषण की प्रकृति	सत्स्थानी प्ररूप सं. 15गक की अद्वितीय पावती यदि कोई हो	जिस देश में धन प्रेषण किया गया है	डिडकटी की ई मेल आई डी	डिडकटी का संपर्क नंबर	डिडकटी का पता जिस देश का निवासी हो	डिडकटी का टिन नंबर/यू आई एन
[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	[735]	[736]	[737]	[738]
1											
2											
3											
कुल											

यदि धारा कोड 94ख-त का चयन किया है , तो प्रदान करें				यदि धारा कोड 94खक-त का चयन किया है , तो प्रदान करें			
जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या
[739]	[740]	[741]	[742]	[743]	[744]	[745]	[746]

सत्यापन

मैं.....स्पष्ट करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है।

स्थान.....

स्त्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

तारीख.....

कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पद

टिप्पणी :-

1. धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के कारण यदि "कम कटौती" या "कोई कटौती नहीं" तो "क" लिखें

2. यदि जोड़ किया गया है तो 'ग' लिखें
3. यदि स्थायी खाता संख्या या आधार प्रस्तुत न करने का कारण या आधार से साथ स्थायी लेखा खाता को लिंक न कराने के कारण धारा 206कक के अधीन कटौती उच्च दर पर हो तो 'घ' लिखें।
4. यदि धारा 194ठखक की उपधारा (2क) को ध्यान में रखते हुए कोई नहीं है तो 'ड.' लिखें
5. धारा 194ड के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कम कटौती या कटौती नहीं हो तो 'ड' लिखें।
6. धारा 194ड के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना या धारा 194ड के तीसरे परंतुक में संदर्भित व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण यदि कटौती कम या कटौती नहीं हो तो 'ड' लिखें
7. धारा 194क की उपधारा (1घ) खंड(क) या (ख) के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है तो 'ण' लिखें।
8. धारा 196घ की उपधारा (1क) के परंतुक के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है तो 'एच' लिखें। धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन जो निर्दिष्ट निधि को भुगतान की गई आय पर छूट प्राप्त है
9. यदि विदेशी संस्थागत निवेशक को भुगतान या देय धारा 15कघ में संदर्भित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय के संबंध में धारा 196घ की उपधारा (2) के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है तो 'झ' लिखें।
10. यदि भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान वाले अनिवासी द्वारा आय की विवरणी दाखिल करने धारा 206कख के मद्देनजर कटौती ज्यादा दर पर है तो 'ञ' लिखें।
11. धारा बोर्ड की सूची इस प्रकार है:-

1. डिडकटी कोड की सूची

क्रम सं.	डिडकटी कोड	विवरण
1	01	कंपनी, घरेलू कंपनी के अलावा
2	02	व्यष्टि
3	03	हिंदू अविभक्त कुटुंब
4	04	व्यक्तियों का संगठन(एओपी) मामलों के अलावा जिसमें केवल कंपनियों के (एओपी) ही इसके सदस्य हो
5	05	व्यक्तियों का संगठन(एओपी) जिसमें केवल कंपनियों के (एओपी) ही इसके सदस्य हो
6	06	सहकारी समिति
7	07	फर्म
8	08	व्यष्टियों का निकाय
9	09	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vi) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
10	10	अन्य

2. डिडकटी के मामले में नियम 37खग द्वारा आच्छादित स्थायी खाता संख्या तथा आधार नंबर उपलब्ध नहीं है उसका वर्णन करना आवश्यक है.

3. धारा कोड की सूची इस प्रकार है :

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192क	करकर्मचारी को देय संचित रकम का भुगतान	192क
194ख	लॉटरी व क्रॉसवर्ड पहेली से जीत	94ख
धारा 194ख के परंतुक	ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीती रकम जब शुद्ध जीती रकम वस्तु या नकद के रूप में करदेयता चुकाने हेतु पर्याप्त न हो और ऐसी शुद्ध जीती रकम जारी होने से पूर्व हो कर चुका दिया गया हो	94ख-त
194खक	ऑनलाइन खेलों से जीत	94खक
धारा 194खक की उपधारा (2)	ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीती रकम जब शुद्ध जीती रकम वस्तु या नकद के रूप में करदेयता चुकाने हेतु पर्याप्त न हो और ऐसी शुद्ध जीती रकम जारी होने से पूर्व हो कर चुका दिया गया हो	94खक-त
194खख	घुड़दौड़ से जीत	4खख
194ड.	अनिवासी खिलाड़ी/खेल संघों को भुगतान	94ड.
194ठख	संरचनागत ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय	4 ठख
194ठखक(क)	धारा 10(23चग(क)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक 1
194ठखक(ख)	धारा 10(23चग(ख)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक 2
194ठखक(ग)	धारा 10(23चग(ग)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक 3
194ठखख	निवेश निधि की इकाई के संबंध में आय प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश	ठखख
1194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	ठखग
194ठग(2)(i) एवं (क)	धारा 194ठग की उपधारा(2) के खंड (i) तथा (क) के अधीन आय	4ठग 1
194ठग(2)(ख)	धारा 194ठग की उपधारा(2) के खंड (i) तथा (ख) के अधीन आय	4ठग 2
194ठग(2)(ग)	धारा 194ठग की उपधारा(2) के खंड (i) तथा (ग) के अधीन आय	4ठग 3
194ठघ	कतिपय बंध पत्र तथा सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय	4 ठघ
194ड	नकद में कतिपय रकम का संदाय प्रथम परंतुक या तीसरे परंतुक द्वारा आच्छादित मामलों के अलावा	94ड
194ड प्रथम परंतुक	गैर फाइलरों के नकद में कतिपय रकम का संदाय सहकारी समितियों के मामलों के अलावा	4ड-ड
194ड तीसरा परंतुक	सहकारी समितियों के प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छादित निश्चित नकद रकम का संदाय	4ड-ग

194इ प्रथम परंतुक तीसरे परंतुक के साथ पठित	प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छदित सहकारी समितियों के निश्चित नकद रकम का संदाय	4इ-चन
195	अनिवासी को अन्य देय रकम	195
196क	अनिवासी की इकाईयों के संबंध में आय	96क
196ख	अपतटीय निधि में इकाईयों के संबंध में भुगतान	96ख
196ग	अनिवासी को संदेय विदेशी मुद्रा बंध पत्र या भारतीय कंपनी के शेयर से आय	96ग
196घ(1)	उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की आय	96घ
194घ(1क)	धारा 194छ में निर्दिष्ट ब्याज आय के से भिन्न धारा 115छ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से विनिर्दिष्ट निधि की आय	96घक

(ड) प्ररूप सं. 27डघ में 1 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त, -

(i) सारणी के क्रम सं. 4, के स्तंभ सं. 4 में " शिक्षा कर" शब्दों के स्थान पर " स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर " शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:—

" उपाबंध: स्रोत पर कर कटौती के दल वार आंकड़ें"

(कृपया मुख्य प्ररूप 27डघ के क्रम सं. 4 में प्रत्येक पंक्ति/मद के लिए पृथक उपाबंध का उपयोग करें)
समाप्त तिमाही (तारीख /माह/वर्ष) के दौरान संदत्त/प्रत्यय राशि और स्रोत पर कर कटौती का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप सं. 24 छ की रसीद संख्या	
जिस तारीख को चालान जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख (दि/म/व)	
फॉर्म सं. 24छ का चालान क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.	
चालान के अनुसार राशि	
स्तंभ 677 के उधर्वाधर योग के रूप में संग्रहकर्ताओं के बीच आबंटित किया जाने वाला कुल टीसीएस	
उल्लिखित से ग्रहकर्ताओं के बीच आबंटित किया जाने वाला कुल ब्याज	

संग्रहकर्ता का नाम	
टैन	

क्रं स	संग्रहकर्ता का संदर्भ सं. संग्रहकर्ता द्वारा दिया गया यदि उपलब्ध हो	संग्रहकर्ता का कोड (टिप्पणी 10 देखें)	क्या निवासी है या अनिवासी (हां/नहीं)	संग्रहकर्ता का पैन	क्या संग्रहकर्ता ने धारा 115खकग(1क) के अधीन कराधान का विकल्प चुना है)?	संग्रहकर्ता का नाम	संव्यवहार की कुल रकम	प्राप्त / जमा रकम	तारीख जब रकम प्राप्त हुई/ विकलित हुई (दि/म/)	संग्रह कोड (टिप्पणी 11 देखें)	कर	अधिभार	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	कुल संग्रहित कर [673+674+675]
[664]	[665]	[666क]	[666ख]	[667क]	[667ख]	[668]	[669]	[670]	[671]	[672]	[673]	[674]	[675]	[676]
1														
2														
3														
कुल														

कुल जमा कर	संग्रहण की तारीख (दि/ मा/व)	जिस दर पर संग्रहण किया गया	गैर-संग्रहण/ निम्नतर संग्रहण या उच्चतर दर पर संग्रहण का कारण (टिप्पणी 1 से 9 देखें)	निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 206 के अधीन कर के न्यूनतम संग्रहण के लिए जारी प्रमाण पत्र की संख्या	क्या संग्रहकर्ता द्वारा संदाय उपधारा (1ख) के पांचवे परंतुक के खंड (j) या उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के अनुसार टीडीएस के लिए दायी है और क्या ऐसे संदाय के लिए टीडीएस भी कटौती कर ली गई है ?/ यदि 680 में या तो "च" या "छ" का चयन किया गया है)	यदि 681क का उत्तर हां है तो	
						चालान संख्या	केन्द्रीय सरकार को टीडीएस संदाय की तारीख
[677]	[678]	[679]	[680]	[681]	[681क]	[681ख]	[681ग]

सत्यापन

मैं..... एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है।
स्थान..... स्त्रोत कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
तारीख..... स्त्रोत पर कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पद

टिप्पण :-

1. यदि धारा 206ग की उपधारा(9) के अधीन प्रमाण पत्र के कारण कम संग्रहण हो तो "क" लिखें
2. यदि धारा 206ग की उपधारा(1क) के अधीन घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के कारण संग्रहण हो तो 'ख' लिखें
3. यदि संग्रहणकर्ता द्वारा पैन/आधार प्रस्तुत न करने के कारण धारा 206गग के अधीन संग्रहण अधिक हो तो 'ग' लिखें।
4. यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के प्रथम परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'घ' लिखें
5. यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के चौथे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'ड' लिखें।
6. यदि उपधारा(1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) अथवा खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना के कारण संग्रहण न हो तो 'च' लिखें।
7. यदि धारा 206 ग की उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'झ' लिखें।
8. यदि धारा 206ग की उपधारा (1ज) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या उपखंड (क) या (ख) या (ग) के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'त' लिखें।
9. यदि धारा 206गक को ध्यान में रखते हुए संग्रहण उच्च दर पर हो तो 'झ' लिखें।
10. संग्रहकर्ता कोड की सूची

क्रम सं.	पक्षकार कोड	विवरण
1	01	कंपनी,
2	02	व्यष्टि
3	03	हिंदू अविभक्त कुटुंब
4	04	व्यक्तियों का संगम(एओपी) , ऐसे एओपी के अलावा कंपनी इसकी सदस्य हो
5	05	व्यक्तियों का संगम(एओपी) जिसमें केवल कंपनी ही इसकी सदस्य हो
6	06	सहकारी समिति
7	07	फर्म
8	08	व्यष्टियों का निकाय
9	09	आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vi) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
10	10	अन्य

11. निम्नवर्णनानुसार संग्रहण कोड लिखें:

धारा	संग्रहण की प्रकृति	संग्रहण कोड	
206ग	मानवीय उपभागे के लिए मद्यसारिक पान से स्रोत पर संग्रह	6ग	क
206ग	वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त काष्ठ से स्रोत पर संग्रह	6ग	ख
206ग	वन पट्टे के अलावा अन्य तरीके से अभिप्राप्त काष्ठ से स्रोत पर संग्रह	6ग	ग
206ग	किसी अन्य वनोपज (तेंदू पत्ता नहीं) से स्रोत पर संग्रह	6ग	घ
206ग	स्क्रैप से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ङ
206ग	पार्किंग स्थल से संबंधित ठेकेदारों या लाइसेंसधारी या पट्टे से स्रोत पर संग्रह	6ग	च
206ग	टोल प्लाजा से संबंधित ठेकेदारों या लाइसेंसधारी या पट्टे से स्रोत पर संग्रह	6ग	छ
206ग	खान या खदान से संबंधित से स्रोत पर संग्रह	6ग	ज
206ग	तेंदू पत्ते से स्रोत पर संग्रह	6ग	झ
206ग	कोयला या लिग्नाइट या लोह अयस्क जैसे खनिजों के विक्रय पर स्रोत पर संग्रह	6ग	ञ
206ग	ब्लियन और आभूषणों के नकद विक्रय पर स्रोत पर संग्रह	6ग	ट
206ग	मोटर गाड़ी के विक्रय पर स्रोत पर संग्रह	6ग	ठ
206ग	ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के क्रय पर स्रोत पर संग्रह	6ग	ण
206ग	धारा 80 ड में उल्लिखित वित्तीय संस्था से लिए गए शैक्षिक ऋण से एलआरएस के अधीन प्रेषण पर स्रोत पर संग्रह	6ग	त
206ग	शिक्षा या चिकित्सा उपचार के उद्देश्यों को छोड़कर एल आर एस के अधीन प्रेषण पर स्रोत पर संग्रह	6ग	थ
206ग	शिक्षा या चिकित्सा उपचार के उद्देश्यों के लिए और कोड पी के अधीन समावेश नहीं किए गए एलआरएस के अधीन प्रेषण पर स्रोत पर संग्रह	6ग	न
206ग	माल के विक्रय पर स्रोत पर संग्रह	6ग	द

[अधिसूचना संख्या 28/2023/फा. सं. 370142/12/2023-टीपीएल]

मृणालिनी कौर सप्रा, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ.), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 227 (अ) तारीख 28.03.2023 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2023

INCOME-TAX

G.S.R. 379(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 115BBJ, section 194BA, sub-section (3) of section 200 and proviso to sub-section (3) of section 206C of the Income-tax Act 1961 (hereinafter referred to as ‘Act’), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force from date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 31A, in sub-rule(4) with effect from 1st July 2023,—

(a) for clause (ix), the following clause shall be substituted namely:-

“(ix) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted or deducted at lower rate in view of the notification issued under second proviso to section 194N or in view of the exemption provided in fourth proviso to section 194N or in view of the notification issued under fifth proviso to section 194N;”;

(b) in clause (xvii), after sub-clause (a), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(aa) winnings in terms of sub-section (2) of section 194BA;”.

3. In the principal rules, after rule 132, the following rule shall be inserted, namely:—

“133. (1) Net winnings from online games during the previous year, for the purposes of section 115BBJ, shall be calculated using the following formula, namely:—

Net winnings = (A+D)-(B+C), where –

A = Aggregate amount withdrawn from the user account during the financial year;

B = Aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the assessee during the financial year;

C = Opening balance of the user account at the beginning of the financial year; and

D= Closing balance of the user account at the end of the financial year.

(2) Net winnings comprised in the first withdrawal during the financial year, for the purposes of section 194BA, shall be calculated using the following formula, namely:—

Net winnings = A-(B+C), where –

A = Amount withdrawn from the user account;

B = Aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the owner of such account during the financial year, till the time of such withdrawal; and

C = Opening balance of the user account at the beginning of the financial year.

(3) Net winnings in the formula given in sub-rule (2) shall be zero, if the sum of amounts B and C is equal to or greater than the amount A.

(4) Net winnings comprised in each subsequent withdrawal during the financial year, for the purposes of section 194BA, shall be calculated using the following formula, namely:—

Net winnings = A-(B+C+E), where –

A = Aggregate amount withdrawn from the user account during the financial year till the time of subsequent withdrawal including the amount of such subsequent withdrawal;

B = Aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the owner of such account during the financial year, till the time of such subsequent withdrawal;

C = Opening balance of the user account at the beginning of the financial year; and

E= Net winnings comprised in the earlier withdrawal or withdrawals computed under sub-rule (2), or under this sub-rule, during the financial year till the time of subsequent withdrawal if tax has been deducted in accordance with the provision of section 194BA on winnings comprised in such withdrawal or withdrawals.

(5) Net winnings in the formula given in sub-rule (4) shall be zero, if the sum of amounts B, C and E is equal to or greater than the amount A.

(6) Net winnings comprised in the user account at the end of the financial year, for the purposes of section 194BA, shall be calculated using the following formula, namely:—

Net winnings = (A+D)-(B+C+E), where –

A = Aggregate amount withdrawn from the user account during the financial year;

B = Aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the owner of such account during the financial year;

C = Opening balance of the user account at the beginning of the financial year;

D= Closing balance of the user account at the end of the financial year; and

E= Net winnings comprised in the earlier withdrawal or withdrawals computed under sub-rule (2), or sub-rule (4), during the financial year if tax has been deducted in accordance with the provision of section 194BA on winnings comprised in such withdrawal or withdrawals.

(7) Net winnings in the formula given in sub-rule (6) shall be zero, if the sum of amounts B, C and E is equal to or greater than the sum of amount A and D.

Explanation 1.— For the purposes of this rule –

- (a) “non-taxable deposit” means the amount deposited by the user in his user account and which is not taxable;
- (b) “taxable deposit” means any amount deposited in the user account which is not a non-taxable deposit and includes any amount paid directly to the user not through the user account; and
- (c) “withdrawal” means any amount withdrawn by the user from any user account.

Explanation 2.— For the removal of doubts, it is hereby clarified that –

- (a) user account shall include every account of user, by whatever name called, which is registered with the online gaming intermediary and where any taxable deposit, non-taxable deposit or the winnings made by the user is credited and withdrawal by the user is debited;
- (b) whenever there is payment to the user in kind or in cash, or partly in kind and partly in cash, which is not from the user account, the provisions of this rule shall apply to calculate net winnings by deeming that the money equivalent to such payment has been deposited as taxable deposit in the user account and the equivalent amount has been withdrawn from the user account at the same time and shall accordingly be included in amount A;
- (c) whenever there are multiple user accounts of the same user, each user account shall be considered for the purposes of calculating net winnings and the deposit, withdrawal or balance in the user account shall mean aggregate of deposit, withdrawal or balance in all user accounts;
- (d) whenever there are multiple user accounts of the same user, transfer from one user account to another user account, maintained with the same online gaming intermediary, of the same user shall not be considered as withdrawal or deposit, as the case may be, for the purposes of deducting tax under section 194BA;
- (e) whenever there is taxable deposit in the form of bonus, referral bonus, incentives, promotional money, discount by whatever name called; and such deposit can only be used for playing the online games and not for withdrawal or any other purposes, such deposit shall be ignored for the purposes of calculation of net winnings and shall not be included in amount B or amount C or amount D; and
- (f) whenever any bonus, referral bonus, incentives, promotional money, discount, by whatever name called, is not considered as part of amount B or amount C or amount D under clause (e) and subsequently they are recharacterised and allowed to be withdrawn, they shall be deemed as taxable deposit at the time of such recharacterisation and it shall be deemed that the equivalent amount has been deposited in the user account at that time.”.

4. In the principal rules, in Appendix II,—

(a) for Form No. 16 the following form shall be substituted with effect from 1st July 2023 and shall be applicable for the assessment year 2024-25 and subsequent assessment years, namely:—

“FORM NO. 16

[See rule 31(1)(a)]

PART A

Certificate under section 203 of the Income-tax Act, 1961 for tax deducted at source on salary paid to an employee under section 192 or pension or interest income of specified senior citizen under section 194P.

Certificate No.		Last updated on	
Name and address of the Employer/Specified Bank		Name and address of the Employee/ Specified senior citizen	
PAN of the Deductor	TAN of the Deductor	PAN of the Employee/specified senior citizen	Employee Reference No./ Pension Payment order No. provided by the Employer (If available)
CIT (TDS) Address..... City..... Pin Code		Assessment Year	Period with the Employer From To

Summary of amount paid/credited and tax deducted at source thereon in respect of the employee

Quarter(s)	Receipt Numbers of original quarterly statement of TDS under sub section (3) of section 200	Amount paid/credited	Amount of tax deducted (Rs.)	Amount of tax deposited/ remitted (Rs.)
Total (Rs.)				

I. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH BOOK ADJUSTMENT

(The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)

Sl. No.	Tax Deposited in respect of the deductee (Rs.)	Book Identification Number (BIN)			
		Receipt numbers of Form No. 24G	DDO serial number in Form No. 24G	Date of transfer voucher dd/mm/yyyy	Status of matching with Form No. 24G
Total (Rs.)					

II. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH CHALLAN

(The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)

Sl. No.	Tax Deposited in respect of the deductee (Rs.)	Challan Identification Number (CIN)			
		BSR Code of the Bank Branch	Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)	Challan Serial Number	Status of matching With OLTAS
Total (Rs.)					

Verification

I,....., son/daughter of working in the capacity of(designation) do hereby certify that a sum of Rs.....[Rs.....(in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government. I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, TDS deposited and other available records.

Place.....	(Signature of person responsible for deduction of tax)
Date.....	
Designation:	Full Name:

[PART B (Annexure-I)]

In relation to employees for tax deduction under section 192

Details of salary paid and any other income and tax deducted

A	Whether opting out of taxation u/s 115BAC(1A)?	[YES/NO]
1.	Gross Salary	
(a)	Salary as per provisions contained in section 17(1)	Rs. ...
(b)	Value of perquisites under section 17(2) (as per Form No. 12BA, wherever applicable)	Rs. ...
(c)	Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form No. 12BA, wherever applicable)	Rs. ...
(d)	Total	Rs. ...
(e)	Reported total amount of salary received from other employer(s)	Rs. ...
2.	Less: Allowances to the extent exempt under section 10	
(a)	Travel concession or assistance under section 10(5)	Rs. ...
(b)	Death-cum-retirement gratuity under section 10(10)	Rs. ...
(c)	Commuted value of pension under section 10(10A)	Rs. ...
(d)	Cash equivalent of leave salary encashment under section 10(10AA)	Rs. ...
(e)	House rent allowance under section 10(13A)	Rs. ...
(f)	Other special allowances under section 10(14)	Rs. ...
(g)	Amount of any other exemption under section 10	

	clause ...	Rs. ...		
	clause ...	Rs. ...		
	clause ...	Rs. ...		
	clause ...	Rs. ...		
	clause ...	Rs. ...		
	...	Rs. ...		
(h)	Total amount of any other exemption under section 10		Rs. ...	
(i)	Total amount of exemption claimed under section 10			Rs. ...
	[2(a)+2(b)+2(c)+2(d)+2(e)+2(f)+2(h)]			
3.	Total amount of salary received from current employer			Rs. ...
	[1(d)-2(i)]			
4.	Less: Deductions under section 16			
(a)	Standard deduction under section 16(ia)		Rs. ...	
(b)	Entertainment allowance under section 16(ii)		Rs. ...	
(c)	Tax on employment under section 16(iii)		Rs. ...	
5.	Total amount of deductions under section 16			Rs. ...
	[4(a)+4(b)+4(c)]			
6.	Income chargeable under the head "Salaries" [(3+1(e)-5)]			Rs. ...
7.	Add: Any other income reported by the employee under as per section 192 (2B)			
(a)	Income (or admissible loss) from house property reported by employee offered for TDS		Rs. ...	
(b)	Income under the head other sources offered for TDS		Rs. ...	
8.	Total amount of other income reported by the employee			Rs. ...
	[7(a)+7(b)]			
9.	Gross total income (6+8)			Rs. ...
10.	Deductions under Chapter VI-A			
			Gross Amount	Deductible Amount
(a)	Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. under section 80C		Rs. ...	Rs. ...
(b)	Deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC		Rs. ...	Rs. ...
(c)	Deduction in respect of contribution by taxpayer to pension scheme under section 80CCD (1)		Rs. ...	Rs. ...
(d)	Total deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD(1)		Rs. ...	Rs. ...
(e)	Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 80CCD (1B)		Rs. ...	Rs. ...
(f)	Deduction in respect of contribution by Employer to pension scheme under section 80CCD (2)		Rs. ...	Rs. ...
(g)	Deduction in respect of health insurance premia under section 80D		Rs. ...	Rs. ...
(h)	Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E		Rs. ...	Rs. ...
(i)	Deduction in respect of contribution by the employee to Agnipath Scheme under section 80CCH		Rs. ...	Rs. ...
(j)	Deduction in respect of contribution by the Central Government to Agnipath Scheme under section 80CCH		Rs. ...	Rs. ...

		Gross Amount	Qualifying Amount	Deductible Amount
(k)	Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
(l)	Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTA	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
(m)	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A			
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
(n)	Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
11.	Aggregate of deductible amount under Chapter VI-A [10(d)+10(e)+10(f)+10(g)+10(h)+ 10(i)+10(j) +10(k) +10(l) +10(n)]			Rs. ...
12.	Total taxable income (9-11)			Rs. ...
13.	Tax on total income			Rs. ...
14.	Rebate under section 87A, if applicable			Rs. ...
15.	Surcharge, wherever applicable			Rs. ...
16.	Health and education cess @ 4%			Rs. ...
17.	Tax payable (13+15+16-14)			Rs. ...
18.	Less: Relief under section 89 (attach details)			Rs. ...
19.	Net tax payable (17-18)			Rs. ...

Verification

I,, son/daughter ofworking in the capacity of..... (designation) do hereby certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, and other available records

Place.....

(Signature of person responsible for deduction of tax)

Date.....

Full Name :

Annexure II

In relation to specified senior citizen for tax deduction under section 194P

A	Whether opting out of taxation u/s 115BAC(1A)?	[YES/NO]
1.	Gross Salary	
(a)	Pension as per provisions contained in clause (ii) of section 17(1)	Rs. ...
2.	Total amount of salary received	Rs. ...
3.	Less: Deductions under section 16	
(a)	Standard deduction under section 16(ia)	Rs....
(b)	Tax on employment under section 16(iii)	Rs. ...
4.	Total amount of deductions under section 16 [3(a)+3(b)]	Rs. ...
5.	Income chargeable under the head "Salaries" [(2-4)]	Rs. ...

6.	Interest Income under the head "Other Sources" paid by the specified bank		Rs. ...	
7.	Gross total income (5+6)			Rs. ...
8.	Deductions under Chapter VI-A			
			Gross Amount	Deductible Amount
(a)	Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. under section 80C		Rs. ...	Rs. ...
(b)	Deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC		Rs. ...	Rs. ...
(c)	Deduction in respect of contribution by taxpayer to pension scheme under section 80CCD(1)		Rs. ...	Rs. ...
(d)	Total deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD (1)		Rs. ...	Rs. ...
(e)	Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 80CCD (1B)		Rs. ...	Rs. ...
(f)	Deduction in respect of health insurance premia under section 80D		Rs. ...	Rs. ...
(g)	Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E		Rs. ...	Rs. ...
		Gross Amount	Qualifying Amount	Deductible Amount
(h)	Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
(i)	Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTB	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
(j)	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A			
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
(k)	Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
9.	Aggregate of deductible amount under Chapter VI-A [8(d)+8(e)+8(f)+8(g)+8(h)+8(i)+8(k)]			Rs. ...
10.	Total taxable income (7-9)			Rs. ...
11.	Tax on total income			Rs. ...
12.	Rebate under section 87A, if applicable			Rs. ...
13.	Surcharge, wherever applicable			Rs. ...
14.	Health and education cess			Rs. ...
15.	Tax payable (11+13+14-12)			Rs. ...
16.	Less: Relief under section 89 (attach details)			Rs. ...
17.	Net tax payable (16-17)			Rs. ...

<i>Verification</i>	
I,, son/daughter ofworking in the capacity of (designation) do hereby certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, and other available records.	
Place.....	(Signature of person responsible for deduction of tax)
Date.....	Full Name :

Notes:

1. Government deductors to fill information in item I of Part A if tax is paid without production of an income-tax challan and in item II of Part A if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
2. Non-Government deductors to fill information in item II of Part A.
3. The deductor shall furnish the address of the Commissioner of Income-tax (TDS) having jurisdiction as regards TDS statements of the assessee.
4. If an assessee is employed under one employer only during the year, certificate in Form No. 16 issued for the quarter ending on 31st March of the financial year shall contain the details of tax deducted and deposited for all the quarters of the financial year.
5. (i) If an assessee is employed under more than one employer during the year, each of the employers shall issue Part A of the certificate in Form No. 16 pertaining to the period for which such assessee was employed with each of the employers.
(ii) Part B (Annexure-I) of the certificate in Form No.16 may be issued by each of the employers or the last employer at the option of the assessee.
(iii) Part B (Annexure-II) of the certificate in Form 16 may be issued by the specified bank to a specified senior citizen.
6. In Part A, in items I and II, in the column for tax deposited in respect of deductee, furnish total amount of tax, surcharge and health and education cess.
7. Deductor shall duly fill details, where available, in item numbers 2(f) and 10(k) before furnishing of Part B (Annexure-I) to the employee.”.

Total taxable income (355-379).	Income-tax on total income.	Rebate under section 87A, if applicable.	Surcharge, wherever applicable.	Health and education cess.	Income-tax relief under section 89, when salary, etc. is paid in arrear or advance.	Net tax liability [381+383+384-(382+385)].	Total amount of tax deducted at source by the current employer for the whole year [aggregate of the amount in columns 325 of Annexure I for all the quarters in respect of each employee].	Reported amount of tax deducted at source by other employer(s) or deductor(s) (income in respect of which included in computing total taxable income in column 339).	Total amount of tax deducted at source for the whole year (387+388).	Shortfall in tax deduction (+) or excess tax deduction (-) (386-389).
(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)

Notes:

- Salary includes wages, annuity, pension, gratuity (other than exempted under section 10(10)), fees, commission, bonus, repayment of amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974), perquisites, profits in lieu of or in addition to any salary or wages including payments made at or in connection with termination of employment, advance of salary, any payment received in respect of any period of leave not availed (other than exempted under section 10 (10AA)), any annual accretion to the balance of the account in a recognised provident fund chargeable to tax in accordance with rule 6 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any sums deemed to be income received by the employee in accordance with sub-rule (4) of rule 11 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any contribution made by the Central Government to the account of the employee under a pension scheme referred to in section 80CCD or any other sums chargeable to income-tax under the head 'Salaries'.
- Where an employer deducts from the emoluments paid to an employee or pays on his behalf any contributions of that employee to any approved superannuation fund, all such deductions or payments should be included in the statement.
- Permanent account number of landlord shall be mandatorily furnished where the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees.
- Permanent account number of lender shall be mandatorily furnished where the housing loan, on which interest is paid, is taken from a person other than a Financial Institution or the Employer.”;

(iv) in Annexure III, in the fifth column of the first table, for the words “Whether opting for taxation u/s 115BAC [Yes/No]”, the words “Whether opting out of taxation u/s 115BAC(1A) [Yes/No]” shall be substituted;

(c) in form 26Q, with effect from 1st July, 2023,—

(i) for the brackets, words, figures and letters “[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N, 194-O, 194P, 194Q, 194R, 194S, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A]”, the following brackets, words, figures and letters, shall be substituted, namely:—

“[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BA, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N, 194-O, 194P, 194Q, 194R, 194S, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A]”;

(ii) for the “Annexure”, the following “Annexure” shall be substituted, namely:—

“ANNEXURE: DEDUCTEE/PAYEE WISE BREAK UP OF TDS

(Please use separate Annexure for each line-item in Table at Sl. No. 4 of main Form 26Q)

Details of amount paid/credited during the quarter ended... (dd/mm/yyyy) and of tax deducted at source

<i>BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G</i>	
<i>Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)</i>	
<i>Challan Serial Number / DDO Serial No. of Form No. 24G</i>	
<i>Amount as per Challan</i>	
<i>Total tax to be allocated among deductees/payees as in the vertical total of Col. 421</i>	
<i>Total interest to be allocated among the deductees/payees mentioned below</i>	

<i>Name of the Deductor/Payer</i>	
<i>TAN</i>	

Verification

I,....., hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place:

.....

Signature of the person responsible for deducting tax at source

Date:

.....

Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Notes:

1. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.
2. Write "B" if no deduction is on account of declaration under section 197A other than the cases mentioned in sub-section (1F) of section 197A.
3. Write "C" if deduction is on higher rate under section 206AA on account of non-furnishing of PAN.
4. Write "D" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person or class of person on account of notification issued under sub-section (5) of section 194A.
5. Write "E" if no deduction is on account of payment being made to a person referred to in Board Circular No. 3 of 2002 dated 28th June 2002 or Board Circular No. 11 of 2002 dated 22nd November 2002 or Board Circular No. 18/2017 dated 29th May 2017
6. Write "Y" if no deduction is on account of payment below threshold limit specified in the Income-tax Act, 1961.
7. Write "T" if no deduction is on account of deductee/payee being transporter. PAN of deductee/payee is mandatory [section 194C(6)].
8. Write "Z" if no deduction or lower deduction is on account of payment being notified under section 197A(1F).
9. Write "M" if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second proviso to section 194N.
10. Write "N" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the fourth proviso to section 194 N or on account of notification issued under fifth proviso to section 194N.
11. Write "O" if no deduction is as per the provisions of sub-section (2A) of section 194LBA.
12. Write "P" if no deduction is on account of payment of dividend made to a business trust referred to in clause (d) of second proviso to section 194 or in view of any notification issued under clause (e) of the second proviso to section 194.
13. Write "Q" if no deduction in view of payment made to an entity referred to in clause (x) of sub-section (3) of section 194A.
14. Write "S" if no deduction is in view of the provisions of sub-section (5) of section 194Q.
15. Write "U" if the deduction is on higher rate in view of section 206AB for non-filing of return of income.
16. List of section codes is as under:

<i>Section</i>	<i>Nature of Payment</i>	<i>Section Code</i>
192A	<i>Payment of accumulated balance due to an employee</i>	192A
193	<i>Interest on securities</i>	193
194	<i>Dividend</i>	194
194A	<i>Interest other than interest on securities</i>	94A
194B	<i>Winnings from lottery or crossword puzzle, etc</i>	94B
<i>Proviso to section 194B</i>	<i>Winnings from lottery or crossword puzzle, etc where consideration is made in kind or cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such winnings are released</i>	94B-P
194BA	<i>Winnings from online games</i>	94BA
<i>Sub-section (2) of section 194BA</i>	<i>Net Winnings from online games where the net winnings are made in kind or cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such net winnings are released</i>	94BA-P
194BB	<i>Winnings from horse race</i>	4BB
194C	<i>Payment of contractors and sub-contractors</i>	94C
194D	<i>Insurance Commission</i>	94D
194DA	<i>Payment in respect of life insurance policy</i>	4DA
194EE	<i>Payments in respect of deposits under National Savings Schemes</i>	4EE
194F	<i>Payments on account of repurchase of Units by Mutual Funds or UTIs</i>	94F
194G	<i>Commission, prize etc., on sale of lottery tickets</i>	94G
194H	<i>Commission or Brokerage</i>	94H
194-I(a)	<i>Rent</i>	4-IA
194-I (b)	<i>Rent</i>	4-IB
194J(a)	<i>Fees for Technical Services (not being professional service), royalty for sale, distribution or exhibition of cinematographic films and call center (@2%)</i>	94J-A
194J(b)	<i>Fee for professional service or royalty etc (@10%)</i>	94J-B
194K	<i>Income in respect of units</i>	94K
194LA	<i>Payment of Compensation on acquisition of certain immovable property</i>	4LA
194LBA(a)	<i>Certain income in the form of interest from units of a business trust to a resident unit holder</i>	4BA1
194LBA(b)	<i>Certain income in the form of dividend from units of a business trust to a resident unit holder</i>	4BA2
194LB	<i>Income in respect of units of investment fund</i>	LBB

194LBC	<i>Income in respect of investment in securitization trust</i>	<i>LBC</i>
194N	<i>Payment of certain amounts in cash other than cases covered by first proviso or third proviso</i>	<i>94N</i>
194N First Proviso	<i>Payment of certain amounts in cash to non-filers except in case of co-operative societies</i>	<i>94N-F</i>
194N Third Proviso	<i>Payment of certain amounts in cash to co-operative societies not covered by first proviso</i>	<i>94N-C</i>
194N First Proviso read with Third Proviso	<i>Payment of certain amount in cash to non-filers being co-operative societies</i>	<i>94N-FT</i>
194-O	<i>Payment of certain sums by e-commerce operator to e-commerce participant</i>	<i>94O</i>
194Q	<i>Payment of certain sums for purchase of goods</i>	<i>94Q</i>
194R	<i>Benefits or perquisites of business or profession</i>	<i>94R</i>
First Proviso to sub-section (1) of section 194R	<i>Benefits or perquisites of business or profession where such benefit is provided in kind or where part in cash is not sufficient to meet tax liability and tax required to be deducted is paid before such benefit is released</i>	<i>94R-P</i>
194S	<i>Payment of consideration for transfer of virtual digital asset by persons other than specified persons</i>	<i>94S</i>
Proviso to sub-section (1) of section 194S	<i>Payment for transfer of virtual digital asset where payment is in kind or in exchange of another virtual digital asset and tax required to be deducted is paid before such payment is released</i>	<i>94S-P</i> ;

(d) in Form 27Q, with effect from 1st July, 2023, –

(i) for the brackets, words, figures and letters “[See section 194E, 194LB, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194LC, 194N, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A]”, the following brackets, words, figures and letters shall be substituted, namely: –

“See section 194B, 194BA, 194BB, 194E, 194LB, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194LC, 194N, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A”

(ii) in serial number 4, in the table, in column No. 4, for the words “Education Cess”, the words, “Health and Education Cess” shall be substituted;

(iii) for “Annexure”, the following “Annexure” shall be substituted, namely:—

<i>Date of deduction (dd/mm/yyyy)</i>	<i>Rate at which deducted</i>	<i>Reason for non- deduction/ lower deduction/ grossing up/ Higher Deduction (See notes 1 to 10)</i>	<i>Number of the certificate issued by the Assessing Officer for non- deduction/ lower Deduction</i>	<i>Whether the rate of TDS is as per IT Act (a) DTAA (b)</i>	<i>Nature of Remittance</i>	<i>Unique Acknowledgement of the corresponding Form No. 15CA, if available</i>	<i>Country to which remittance is made</i>	<i>Email ID of deductee</i>	<i>Contact number of deductee</i>	<i>Address of deductee country residence</i>	<i>Tax Identification Number/ Unique identification number of deductee</i>
[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	[735]	[736]	[737]	[738]

If section code 94B-P is selected, then provide				If section code 94BA-P is selected, then provide			
Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number	Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number
[739]	[740]	[741]	[742]	[743]	[744]	[745]	[746]

Verification

I, _____, hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: _____

Signature of the person responsible for deducting tax at source

Date: _____

 Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Notes:

1. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.
2. Write "C" if grossing up has been done.
3. Write "D" if deduction is on higher rate under section 206AA on account of non-furnishing of Permanent Account Number or Aadhaar Number or non-linking of PAN with Aadhaar.
4. Write "E" if no deduction is in view of sub-section (2A) of section 194LBA.
5. Write "M" if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second proviso to section 194N.
6. Write "N" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the fourth proviso to section 194N or on account of notification issued under the fifth proviso to section 194N.
7. Write "O" if no deduction is in view of clause (a) or (b) of sub-section (1D) of section 197A.
8. Write "H" if no deduction is in view of proviso to sub-section (1A) of section 196D in respect of an income paid to a specified fund which is exempt under clause (4D) of section 10.
9. Write "I" if no deduction is in view of sub-section (2) of section 196D in respect of income of the nature of capital gains on transfer of securities referred to in section 115AD paid or payable to a Foreign Institutional Investor.
10. Write "J" if deduction is at higher rate in view of section 206AB for non-filing of return of income by the non-resident having a permanent establishment in India.

11. List of deductee codes

Sr No.	Deductee Code	Description
1	01	Company, other than domestic company
2	02	Individual
3	03	Hindu Undivided Family
4	04	Association of Persons (AOP) except in case of AOP consisting of only companies as its members
5	05	Association of Persons (AOP) consisting of only companies as its members
6	06	Co-operative Society
7	07	Firm
8	08	Body of individuals
9	09	Artificial juridical person referred to in sub-clause (vii) of clause (31) of section 2 of the Income-tax Act 1961
10	10	Others

12. In case of deductees covered under rule 37BC, Permanent Account Number or Aadhaar Number NOT AVAILABLE should be mentioned.

13. List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Section Code
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
194B	Winnings from lottery or crossword puzzle, etc	94B
Proviso to section 194B	Winnings from lottery or crossword puzzle, etc where consideration is made in kind or cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such winnings are released	94B-P
194BA	Winnings from online games	94BA
Sub-section (2) of section 194BA	Net Winnings from online games where the net winnings are made in kind or cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such net winnings are released	94BA-P
194BB	Winnings from horse race	4BB
194E	Payments to non-resident Sportsmen/Sport Associations	94E

194LB	<i>Income by way of interest from infrastructure debt fund</i>	4LB
194LBA(a)	<i>income referred to in section 10(23FC)(a) from units of a business trust.</i>	LBA1
194LBA(b)	<i>Income referred to in section 10(23FC)(b) from units of a business trust</i>	LBA2
194LBA(c)	<i>Income referred to in section 10(23FCA) from units of a business trust</i>	LBA3
194LBB	<i>Income in respect of units of investment fund</i>	LBB
194LBC	<i>Income in respect of investment in securitisation trust</i>	LBC
194LC (2)(i) and (ia)	<i>Income under clause (i) and (ia) of sub-section (2) of section 194LC</i>	4LC1
194LC (2)(ib)	<i>Income under clause (ib) of sub-section (2) of section 194LC</i>	4LC2
194LC (2)(ic)	<i>Income under clause (ic) of sub-section (2) of section 194LC</i>	4LC3
194LD	<i>Income by way of interest on certain bonds and Government securities.</i>	4LD
194N	<i>Payment of certain amounts in cash other than cases covered by first proviso or third proviso</i>	94N
194N First Proviso	<i>Payment of certain amount in cash to non-filers except in case of co-operative societies</i>	4N-F
194N Third Proviso	<i>Payment of certain amounts in cash to co-operative societies not covered by first proviso</i>	4N-C
194N First Proviso read with Third Proviso	<i>Payment of certain amount in cash to non-filers being co-operative societies</i>	4N-FT
195	<i>Other sums payable to a non-resident</i>	195
196A	<i>Income in respect of units of Non-Residents</i>	96A
196B	<i>Payments in respect of Units to an Offshore Fund</i>	96B
196C	<i>Income from Foreign Currency Bonds or shares of Indian Company payable to Non-Resident</i>	96C
196D(1)	<i>Income of foreign institutional investors from securities under sub-section (1)</i>	96D
196D(1A)	<i>Income of specified fund from securities referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 115AD (other than interest income referred to in section 194LD)</i>	96DA”

(e) in Form 27EQ, with effect from 1st July, 2023, –

(i) in serial number 4, in the table, in column No. 4, for the words “Education Cess”, the words, “Health and Education Cess” shall be substituted;

(ii) for “Annexure” the following “Annexure” shall be substituted, namely:—

Total tax deposited	Date of collection (dd/mm/yyyy)	Rate at which collected	Reason for non- collection/ lower collection/ or collection at higher rate (See Note 1 to 9)	Number of the certificate u/s 206C issued by the Assessing Officer for lower collection of tax	Whether the payment by collectee is liable to TDS as per clause (i) of the fifth proviso to sub-section (1G) or second proviso to sub-section (1H) and whether TDS has been deducted from such payment (if either "F" or "G" is selected in 680)	If, answer to [681A] is yes, then	
						Challan number	Date of payment of TDS to Central Government
[677]	[678]	[679]	[680]	[681]	[681A]	[681B]	[681C]

Verification

I, _____, hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: Signature of the person responsible for collecting tax at source

Date: Name and designation of the person responsible for collecting tax at source

Notes:

1. Write "A" if "lower collection" is on account of a certificate under sub-section (9) of section 206C.
2. Write "B" if "non-collection" is on account of furnishing of declaration under sub-section (1A) of section 206C.
3. Write "C" if collection is at higher rate under section 206CC on account of non-furnishing of PAN/Aadhaar by the collectee
4. Write "D" if no collection is on account of the first proviso to sub-section (1G) of section 206C.
5. Write "E" if no collection is on account of the fourth proviso to sub-section (1G) of section 206C.
6. Write "F" if no collection is on account clause (i) or clause (ii) of the fifth proviso to sub-section (1G) or in view of notification issued under the clause (ii).
7. Write "G" if no collection is on account of the second proviso to sub-section (1H) of section 206C.
8. Write "H" if no collection is on account of sub-clause (A) or sub-clause (B) or sub-clause (C), or in view of notification issued under sub-clause (C), of clause (a) of the Explanation to sub-section (1H) of section 206C.
9. Write "I" if collection is at a higher rate in view of section 206CCA.
10. List of Collectee Codes

Sl No.	Party Code	Description
1	01	Company
2	02	Individual
3	03	Hindu Undivided Family
4	04	Association of Persons (AOP) except in case of AOP consisting of only companies as its members
5	05	Association of Persons (AOP) consisting of only companies as its members
6	06	Co-operative Society
7	07	Firm
8	08	Body of individuals
9	09	Artificial juridical person referred to in sub-clause (vii) of clause (31) of section 2 of the Income-tax Act 1961
10	10	Others

II. Write collection code as mentioned below:

Section	Nature of collection	Collection Code	
206C	Collection at source from alcoholic liquor for human consumption	6C	A
206C	Collection at source from timber obtained under forest lease	6C	B
206C	Collection at source from timber obtained by any mode other than a forest lease	6C	C
206C	Collection at source from any other forest produce (not being tendu leaves)	6C	D
206C	Collection at source from scrap	6C	E
206C	Collection at source from contractors or licensee or lease relating to parking lots	6C	F
206C	Collection at source from contractors or licensee or lease relating to toll plaza	6C	G
206C	Collection at source from contractors or licensee or lease relating to mine or quarry	6C	H
206C	Collection at source from tendu leaves	6C	I
206C	Collection at source on sale of minerals, being coal or lignite or iron ore	6C	J
206C	Collection at source on cash sale of bullion and jewellery	6C	K
206C	Collection at source on sale of motor vehicle	6C	L
206C	Collection at source for purchase of overseas tour program package	6C	O
206C	Collection at source on remittance under LRS from educational loan taken from financial institution mentioned in section 80E	6C	P
206C	Collection at source on remittance under LRS except for the purposes of education or medical treatment	6C	Q
206C	Collection at source on remittance under LRS is for the purposes of education or medical treatment and not covered under Code P	6C	T
206C	Collection at source on sale of goods	6C	R".

[Notification No. 28/2023 / F.No. 370142/12/2023-TPL]
MRINALINI KAUR SAPRA, Director

Note. – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 227(E) dated 28.3.2023.